संख्या- 62 /26-ब0प्र0-2014-5बी/2012

प्रेषक,

दीनानाथ
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई, उ0प्र0 लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2014

विषय:- वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक् योजना के अन्तर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना (3000)(नाबार्ड पोषित) हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता(यां.), सिंचाई के पत्र संख्या-5663/नलकूप/एस.सी.पी., दिनांक 11.12.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना(3000)(नाबार्ड पोषित) हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 3000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से रू0 750.00 लाख (रू0 सात करोड़ पचास लाख मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं।

2. उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाएगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-09-डा0 राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना(नाबार्ड पोषित)-24- वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण व्यय की आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुए किया जाएगा।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/ मदों पर किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जाएगा, जिसके लिए विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप किया जायेगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय, सम्बन्धित योजना की कार्ययोजना पर शासन के अनुमोदनोपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

8. उपरोक्त धनराशि का आहरण/व्यय एस0सी0एस0पी0 के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के दृष्टिगत प्रस्तावित कार्यवार विवरण के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक के अन्तर्गत नवीन नलकूपों का निर्माण कराकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। अत- इन कार्यो हेतु नलकूपों का चयन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य लाभान्वित क्षेत्र में अनुसूचित जाति की आबादी 40 प्रतिशत से अधिक हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

9. उपरोक्तानुसार स्वीकृति स्वयमेव व्यय किये जाने का अधिकार नहीं देती है। जनपद हेतु स्वीकृत शेडयूल आफ रेट क्रय की गयी सामग्री के अनुरूप इशू रेट आदि पर आधारित विश्लेषण सहित, नियमानुसार आगणन/ड्राइंग तैयार कर, सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कार्य स्वीकृत जनपद योजना एवं निर्धारित तकनीकी मानक/नाबार्ड की गाइड लाइन्स के अनुरूप कराया जायेगा। नलकूपों के कार्य समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार इस प्रकार पूर्ण किये जायेगें कि लख्य के अनुसार सिंचन क्षमता की पुर्नस्थापना होकर कृकषों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिल सकें। इस हेतु प्रस्तावित सभी नलकूपों के कार्यो को वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्ण कर उन्हें सिंचाईरत कर दिया जायेगा।

10. यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या-ई-3-85/दस-2014, दिनांक 23.1.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

संख्या- 62 (1)/26-ब0प्र0-2014-तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, समग्र ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई(यांत्रिक) विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. वित्त नियंत्रक, सिंचाई, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्डफाइल।

आज्ञा से

(दीनानाथ)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in